



## सार्वजनिक सूचना

**प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2015 पर सुझाव आमंत्रण।**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) सपटित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2015 जारी किया गया है। प्रारूप संशोधित विनियम आयोग की वेबसाइट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) में अपलोड किया गया है।

उक्त प्रारूप संशोधित विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.08.2015 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयः उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप संशोधित विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव